न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2022 उनवानी गणेश बनाम रामरतन

1. गणेश पुत्र उगमा जाति बैरवा
2. सायर पत्नी उगमा जाति बैरवा

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

–प्रार्थीगण

बनाम

1.रामरतन पुत्र नारायण उम्र बालिग जाति बलाई निवासी धौलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संशोधित आदेश अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

दिनांकः 16/5/2025

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि भूमि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 रकबा 0.7281 हैक्टैयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 729/2 रकबा 1.4967 हैक्टेयर स्थित है प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिये खसरा संख्या 729/2 में से ही आते जाते है किन्तु खसरा संख्या 729/2 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करतें हैं। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 728/52 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये अथवा जमीन के बदले जमीन देने हेतु तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 729/2 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया गया था ।
2. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8.11.2024 द्वारा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये गये थे कि ग्राम कालानाडा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 729/2 में से रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार 0.0544 हैक्टैयर भूमि उक्त खसरे के पूर्वी भाग से अधिग्रहित की जाकर उक्त भूमि की तरमीम गै.मु. रास्ता सिवायचक के रूप मे करें तथा प्रार्थीगणों की भूमि खसरा संख्या 728/2 के उत्तरी भाग में से 0.0544 हैक्टैयर रकबा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कर उसकी तरमीम करें। रिपोर्ट क्रमांक 3211 दिनांक 07.06.2024 को अन्तिम आदेश का एक भाग माना जावे तथा उसी के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।
3. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में उक्त प्रकरण की अपील की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 9.4.2025 द्वारा इस प्रकरण में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 को यथावत रखा गया ।
4. दिनांक 16.5.2025 को प्रार्थी गणेश पुत्र उगमा बैरवा निवासी ग्राम कालानाडा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसको द्वारा तहसील कार्यालय में टीआरए गणना रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर 631122/– रूपये प्रतिवर्गमीटर अनुसार कुल 68666/– रूपये जरिये ई-चालान

(27)

नम्बर 104548586 दिनांक 01.05.2025 द्वारा राजकोष में जमा कराना अवगत कराया है तथा प्रकरण में अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत संशोधित आदेश जारी करने बाबत निवेदन किया है । प्रार्थना के प्रार्थना पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । तथा निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संशोधित आदेश अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी जारी किया जाता है ।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अराई खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 728/2 में आवागन हेतु ख0नं0 729/2 में से 4 मीटर चोडाई एवं 136 मीटर लम्बाई अर्थात 544 वर्गमीटर अर्थात 0.0544 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होने के कारण ख0नं0 729/2 की वर्तमान डीएलसी रकम 631122 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार ख0नं0 728/2 में आवागन हेतु ख0नं0 729/2 में से चाहे गये रास्ते 0.0544 हैक्टेयर की डीएलसी रकम 34333/– रूपये है जिसकी दोगुनी राशि 68666/– रूपये है । जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0544 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 68666/– रूपये अक्षरे अडसठ हजार छ सो छियासठ रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2023/128 दिनांक 10.01.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0544 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी 01 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/5/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)